बजट पूर्व अंक

राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक | अंक 35 | अक्टूबर–दिसम्बर 2010 | सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय...

पारदर्शी तरीके से पूरी हो बजट घोषणाएं

सरकार हर साल बजट प्रस्तुत करते समय बढ़ा चढ़ाकर वादे करती है, लेकिन साल खत्म होते–होते इन वादों की पोल खुलने लगती है। खासकर आदिवासी कल्याण के लिए की गई घोषणाएं तो झूठे वादे ही साबित हुई हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र की ओर से वर्ष 2010–11 के बजट में स्वास्थ्य और आदिवासी विकास के क्षेत्र में की गई घोषणाओं का मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन वित्त विभाग की ओर से विभाग की वेबसाइट पर जारी की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट पर आधारित है। बार्क के अध्ययन में यह सामने आया है कि कई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति वित्त विभाग की इस रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होती। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिती को स्पष्ट करते हुये सभी विभागों को इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर अलग–अलग रिर्पोट लानी चाहिये। वर्तमान में कुछ ही विभाग ऐसे रिर्पोट अपनी वेबसाइट पर रखते है। इस अध्ययन में यह सामने आया है कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित बजट घोषणाओं की स्थिति तो और भी खराब है। एक तरफ जहां आयोजना विभाग यह दावा करता है कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित बजट नियमानुसार खर्च हो रहा है वहीं राज्य सरकार की ओर से विभागवार दिए गए बजट में इन योजनाओं की राशि बहुत ही कम बताई गई है।

पिछले वर्ष सरकार ने आयोजना विभाग और बजट के इन विरोधाभासी आंकड़ों को दूर करने के लिए प्रत्येक विभाग को आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना के लिए निर्धारित लघु शीर्ष खोलने का आश्वासन दिया था। इस साल भी वित्त विभाग की ओर से जारी एक पत्र में सभी विभागों को पुनः ये निर्देश दिए गए हैं।

सरकार और वित्त विभाग के निर्देशों के बाद अब यह आशा की जा सकती है कि वर्ष 2011–12 के बजट में इन दो उपयोजनाओं के लिए निर्धारित लघुशीर्ष देखने को मिलेगा।

बजट समाचार के इस अंक में हमने राजस्थान सरकार और अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटों के साथ बीज उत्पादन, वितरण और कृषि अनुसंधान के लिए बीते साल किए गए समझौते की पड़ताल करने का प्रयास किया है। ये समझौते एक तरफ कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दखल को स्पष्ट करते हैं वहीं सरकारी बीज उत्पादक तथा अनुसंधान संस्थानों की विश्वनीयता पर गहरे सवालिया निशान लगाते हैं। कई कृषि विश्वविद्यालयों तथा सरकारी शोध संस्थानों में 50–60 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले हजारों कृषि वैज्ञानिकों

शेष पृष्ठ 3 पर

पिछले बजट में स्वास्थ्य संबंधी घोषणायें एवं उनकी स्थिति

आगामी बजट में स्वास्थ्य विभाग से हैं ढेर सारी उम्मीदें

विकास की दृष्टि से राजस्थान को चाहे विकसित राज्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा हो, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान अभी भी बीमारु राज्य बना हुआ है। स्वास्थ्यगत मानक और संस्थागत सुविधाओं की दृष्टि से राजस्थान अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं का उपयुक्त रुप से संचालन एवं आम आदमी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का प्रमुख नैतिक दायित्व माना गया है, लेकिन राजस्थान में इस दायित्व का निर्वाह समुचित रुप से नहीं किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के मध्य तक अर्थात सितम्बर 2010 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए आवंटित बजट की आधी राशि भी खर्च नहीं हो पायी जबकि आधा साल बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा की गई कई बजट घोषणाएं भी अधूरी पड़ी हैं। अधिकांश बजट घोषणाएं या तो विभागीय प्रक्रिया में चल रही हैं अथवा उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाई है।

बजट समाचार टीम ने इस लेख में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित बजट का मध्यावधि विश्लेषण करने का प्रयास किया है। साथ ही इस लेख में आगामी बजट से की जाने वाली उम्मीदों पर प्रकाश डालने की भी कोशिश की गई है।

राज्य बजट 2010–11 के तहत की गई घोषणायें एवं वर्तमान स्थिति

- **बजट के समय यह घोषणा की गई थी कि "राज्य के जिन चिकित्सालयों में सीटी. स्कैन सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां** Outsourcing **करके यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिस जिले में** Outsourcing **से यह सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार इसकी व्यवस्था चरणबद्व रुप से करेगी।"** प्रदेश में इस योजना की क्रियान्विति नहीं हो पाई। स्वास्थ्य विभाग ने इसके पीछे यह तर्क दिया है कि इस घोषणा की भौतिक रुप से जांच कर पाना यथा रुप से आसान नहीं है जबकि आयोजना विभाग ने यह टिप्पणी की है कि इसके क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग को प्लान एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है।
- **"मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में जनवरी 2009 से पुनः प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत समस्त चयनित बीपीएल परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों एवं एचआईवी से पीड़ित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। उस योजना के अंर्तगत अब तक 26 लाख व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा 28 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। अब इस योजना के अंर्तगत वृद्वावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशनरों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना पर लगभग 65 करोड. रुपए व्यय होने का अनुमान है।"** मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के अंर्तगत वृद्वों, विधवाओं और विकलांगों को भी शामिल किया गया जो कि एक प्रशंसनीय प्रयास कहा जा सकता है। यद्यपि यह योजना पूर्व में भी चल रही है, लेकिन अगर एक नैतिक तौर पर देखा जाये तो सरकार द्वारा क्या स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को शर्तों और श्रेणियों के दायरे में बांधे जाना जरुरी है ? प्रारंभिक तौर पर तो राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा तबका जो कि ना तो बीपीएल है, ना ही वृद्व, विधवा और विकलांग है, लेकिन फिर भी सरकारी स्वास्थ्यगत सेवाओं की पहुंच से दूर है। अर्थात ये लोग ना तो आर्थिक तौर पर इतने सक्षम है कि मंहगे निजी अस्पतालों में ईलाज करवा सकें और ही इन्हे सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का संबल मिलता है ताकि ईलाज के दौरान इन्हे स्वाथ्यगत सेवाओं के उपयोग में किसी प्रकार की रियायत मिल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किसी प्रकार की बाध्यताओं एवं सीमाओं से मुक्त होंना चाहिये एवं इन्हे सभी के लिए निःशुल्क किया जाना चाहिये ताकि राज्य का एक बड़ा वर्ग इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 में 65 करोड़ रुपए व्यय किये जाने की बात की गई है जिसमें व्यय की गई राशि के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर प्रतिमाह के अंत में व्यय की गई राशि का विवरण दिया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता के साथ–साथ अपव्यय पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। अतः आगामी बजट से उम्मीद की जाती है कि इस योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर राज्य के समस्त नागरिकों को शामिल किया जाए।
- **"राज्य सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों को रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के साथ यह शर्त रखी गई थी कि एक निर्धारित संख्या के गरीब लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। अतः बीपीएल परिवारों को ऐसे निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त की अनुपालना कठोरता से कराई जाएगी"** सुनने में यह घोषणा बहुत अच्छी जान पड़ती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर यह गरीबों के साथ एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। रियायती दरों पर जमीन लेने वाला प्रदेश का

शेष पृष्ठ 2 पर

राज्य बजट में दलित एवं आदिवासी

राजस्थान में दलित एवं आदिवासियों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ 67 लाख है। इनमें दलित आबादी 96 लाख 94 हजार एवं आदिवासी आबादी 70 लाख 97 हजार है। राज्य की कुल जनसंख्या में दलित आबादी का प्रतिशत 17.16 एवं आदिवासी आबादी 12.56 प्रतिशत है।

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 1979 में अनुसूचित उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना लागू की गई थी। योजना आयोग के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य के आयोजना बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट का आकार इनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाना चाहिए। वास्तविक रुप में राज्य के आयोजना बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना का हिस्सा दो से चार प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना का बजट 2.5

अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिए वर्ष 2010–11 की बजट घोषणाएं एवं इनकी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन

से 4.5 प्रतिशत के बीच रहा है।

योजना आयोग के अनुसार राज्य में आयोजना बजट का अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 17.16 प्रतिशत एवं जनजाति उपयोजना के लिए 12.56 प्रतिशत बजट आवंटित होना चाहिए। पिछले वर्ष इन मानदंडों से बहुत ही कम बजट आवंटित किया गया था जिसके कारण प्रदेश की दलित आबादी करीब 1925 करोड़ और आदिवासी आबादी करीब 1174 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं से वंचित रह गए।

राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपने बजट भाषण में दलितों एवं आदिवासियों के लिए अलग से घोषणाएं करती हैं। प्रस्तुत लेख में सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए गई घोषणाओं एवं इनकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास किया है।

अनुसूचित जाति उपयोजना :

सम्बल ग्राम योजना : इस योजना के अन्तर्गत ऐसे गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी हो, उनमें ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार ने पिछले वर्ष के बजट प्रावधान में इस योजना के मानदंडों में बदलाव करके उन गांवों को भी शामिल कर लिया जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति आबादी हो। इसके कारण इस योजना में शामिल गांवों की संख्या 2463 से बढकर 4110 हो गई। प्रदेश में सम्बल ग्राम योजना के लिए आवंटित बजट आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ाया गया जिसके कारण बहुत सारे गांव इस योजना से वंचित रह

शेष पृष्ठ 4 पर

संसाधनों के बिना कैसा अधिकार :

सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं की कमी बन सकती है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में बाधा

देश में एक अप्रेल 2010 से छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू हो गया फिलहाल सरकारों ने इस कानून के क्रियान्वयन के लिए तीन वर्ष का समय ले रखा है। यह कानून छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इस कानून में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों के विकास का भी प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत बाल संरक्षण अभियान की ओर से हाल ही में किए गए एक अध्ययन में सरकारी स्कूलों में संसाधनों और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कई खामियां उजागर हुई हैं। बाल संरक्षण अभियान की ओर से राज्य के 15 जिलों की 18 पंचायतों के 9849 परिवारों के साथ यह अध्ययन किया गया है। इस सर्वेक्षण में बाल अधिकारों और शिक्षा के अधिकार की वर्तमान स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के आकड़े शिक्षा की दयनीय दशा को दर्शाते हैं। इस अध्ययन में झालावाड़, बून्दी, अजमेर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, पाली, सीकर, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर और कोटा जिलों को सम्मिलित किया गया।

इस सर्वेक्षण में यह उभरकर आया है कि प्रदेश के सीमावर्ती, पिछड़े और जनजाति बाहुल्य जिलों में बच्चों के नामांकन की स्थिति बेहद चिन्ता जनक है। कुछ जिलों में तो 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे नामांकन से वंचित हैं। तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाने योग्य हैं उनमें से 74 प्रतिशत बच्चे आंगनबाडी केंद्रों तक नहीं पंहुच पा रहे हैं।

अध्ययन के नतीजों के मुताबिक ये बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा एवं आंगनबाडी केंद्रों में मिलने वाली पोषण सुविधाओं से वंचित हैं। अध्ययन में यह सामने आया है कि लगभग एक तिहाई बच्चों के लिए सरकारी स्कूल दो या दो से अधिक किलोमीटर की दूरी पर हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने समानीकरण के तहत कई प्राथमिक विद्यालयों को अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया जिसके कारण भी कई क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी बढ़ गई है। समानीकरण में गांव के बच्चों की स्कूल तक पंहुच को ध्यान में नही रखा गया। इस फेरबदल के बाद कई गांवों में जहां बच्चे एक किलोमीटर तक दूरी वाले स्कूल में जा रहे थे , अब उनके लिये स्कूल चार से पांच किलोमीटर तक दूर हो गए हैं। सूदुर क्षेत्र के गांवों में दो किलोमीटर की दूरी भी सुगम नहीं है।

यह अध्ययन निःशुल्क शिक्षा के दावे की भी पोल खोलता है। सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि लगभग एक तिहाई हिस्सों में बच्चों से किसी ना किसी मद में फीस वसूली गई है जिसे अधिनियम के तहत वापस नहीं किया गया है। प्रदेश में स्कूल नहीं जाने वाले नामांकित बच्चों में से 60 प्रतिशत बालिकाएं हैं।

इस अध्ययन में 15 जिलों की 18 पंचायतों के 50 प्राथमिक तथा 35 उच्च प्राथमिक विधालयों से भी आकड़ें जुटाए गए है। इनमें से लगभग आधे स्कूलों में दो या दो से कम कक्षा कक्ष है। प्राथमिक विद्यालयों में यह स्थिति 60 प्रतिशत से अधिक है। लगभग आधे विद्यालयों में बालिकाओं के लिये अलग शौचालय नहीं है जबकि 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा ही नहीं है। अध्ययन में शामिल लगभग आधे विद्यालयों में चार दीवारी नहीं थी। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में यह आंकडा तीन चौथाई है। इसके अलावा लगभग 60 प्रतिशत विद्यालयों में खेल के मैदान की सुविधा नहीं थी। करीब 70 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं है। अध्ययन में शामिल आधे से अधिक स्कूलों में दो या दो से कम शिक्षकों की नियुक्ति है। 82 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल दो या दो से कम शिक्षकों के भरोसे संचालित हैं।

स्कूलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 85 प्रतिशत विद्यालयों मे शाला प्रबन्धन समितियों का गठन हो चुका है एवं उनमे से 75 प्रतिशत समितियां सक्रिय हैं। यहां सक्रियता से मतलब है कि जिन समितियों का बैंक एकाउन्ट खुल चुका है एवं राशी जारी हुई है। समुदाय के स्तर पर किसी भी परिवार को एसएमसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगभग 75 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं है। प्राथमिक स्तर के 90 प्रतिशत विद्यालय पुस्तकालयों से वंचित है। लगभग 20 प्रतिशत विद्यालय रसोई घर नहीं हैं । इसके मायने 20 प्रतिशत स्कूलों में रसोई घर एवं स्टोर के लिये कक्षा कक्ष उपयोग में लाए जा रहे हैं।

अध्ययन के आधार पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिये पैरवी करने के निम्न मुददे सामने आयेः–

- शिक्षा के अधिकार कानून के लिये राज्य नियमों का निर्माण किया जाए
- कानून के प्रावधानानुसार प्रत्येक बच्चे का उम्र के अनुसार प्रवेश एवं ठहराव सुनिश्चित हो
- गैर नामांकित बच्चों एवं बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण किया जाए।
- कानून के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात का होना जरुरी है
- प्रत्येक विद्यालय में शाला प्रबन्धन समिति का गठन एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए
- निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे में अभाव ग्रस्त समूह के बच्चों को प्रवेश दिया जाए
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण हो
- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिक्षा का अधिकार प्रकोष्ठ का गठन एवं आयोग का कानून की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाई जाए
- राज्य स्तर पर सलाहकार परिषद का गठन किया जाए
- सरकारी विद्यालयों के निजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए
- 3 से 6 वर्ष के वे बच्चे जिनका स्कूल में नामांकन नहीं है उनका प्रत्येक वर्ष ग्राम स्तर पर चिन्हीकरण किया जाए और यह सुनिश्चित हो कि एसे प्रत्येक बच्चे का आंगनबाडी में नामांकन हो साथ ही स्कूल पूर्व शिक्षा के लिये आंगनबाडी में बच्चे का ठहराव हो।
- एकीकरण में बन्द विद्यालयों को पुनः शुरु किया जाए।
- विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण एवं उनकी क्रियाशीलता की सुनिश्चितता की जाए

यह राहत की बात है कि इस दिशा मे कदम उठाते हुये राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के लिये आवश्यक नियमों तथा उपनियमों के गठन के लिये एक समिति बनाई है जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे रखी हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में यह कानून महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सरकारी स्कूलों और शिक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कानून को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे।

पृष्ठ 1 का शेष

पिछले बजट में ...

एक भी निजी अस्पताल ऐसा नहीं है जो एक फिसदी गरीबों का भी निःशुल्क इलाज करता हो। जयपुर शहर में करीब 30 से ज्यादा निजी अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें रियायती दरों पर जमीन दी गई थी, लेकिन इनमें से एक दो अस्पतालों को छोड़कर किसी भी अस्पताल में गरीबों को मुफ्त तो दूर रियायती दर पर भी इलाज किया जाता हो।

- **"आगामी वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्वजनों की देखभाल के लिये "जेरियाट्रिक केन्द्र" स्थापित किए जायेंगें एवं लगभग 300 चिकित्साकर्मियों को जेरियाट्रिक केयर के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।"** यह घोषणा भी अन्य घोषणाओं की तरह कोरी घोषणा ही साबित हुई है। अभी तक इस घोषणा की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है अर्थात योजना की क्रियांवितता, पारदर्शिता एवं जानकारी का अभाव है।
- **"वर्तमान में संचालित 108 एम्बुलेंस की संख्या इस वर्ष के अंत तक 314 हो जाएगी। वर्ष 2010–11 में 150 अतिरिक्त एंबूलेंसें 37 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से खरादी जायेंगीं।"** यद्यपि 108 ऐम्बुलेंस सेवा सेवा राज्य में अति उत्कृष्ट सेवाऐं प्रदान कर रही हैं इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज भी राज्य के दूरदराज एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में चिकित्सा परिवहन सेवाओं का पर्याप्त अभाव है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों कों 108 ऐम्बुलेंस के बारे में जानकारी का पर्याप्त अभाव है जिसके कारण से ग्रामीण लोग इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। घोषणा के आधार पर अगर बात की जाए तो विभाग की ओर से वेबसाइट पर कहीं भी यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वर्तमान में राज्य में कुल कितनी ऐम्बुलेंस संचालित हैं और वर्ष 2010–11 में एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 150 अतिरिक्त ऐम्बुलेंस की संख्या को घटाकर 136 कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में संचालित ऐम्बूलेंस की कुल संख्या के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही 37 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि के बारे में बताया गया है कि अभी तक वर्ष 2010–11 के दौरान कितनी ऐम्बुलेंस खरीदी गई हैं और इन पर कुल कितनी राशि व्यय जा चुकी है। आगामी बजट से उम्मीद की जाती है कि राज्य में 108 ऐम्बुलेंस सेवाओं की संख्या में वृद्वि कर दूरदराज के क्षेत्रों में इसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा और लोगों में इसके प्रति जानकारी को बढ़ावा दिया जाने के प्रयास किए जायेंगें ताकि राज्य में अधिक से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।
- **"राज्य के 1 हजार 778 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में राजकीय भवन नहीं हैं। तीन वर्षों में सभी उप–स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्मित किये जायेंगें। आगामी वर्ष में 500 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 55 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है।"** घोषणा के वर्तमान स्तर के बारे में आयोजना और वित्त विभाग की टिप्पणी है कि क्रियान्विति के लिये इन विभागों को एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है जबकि राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आशा की जाती है कि आगामी बजट में शेष उप स्वास्थ्य केन्द्रों के राजकीय भवन निर्माण की घोषणा के साथ ही पूर्व में घोषित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के राजकीय भवन निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं क्रियांविता को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
- **"जनजाति एवं रेगीस्तानी क्षेत्रों में आगामी तीन वर्षों में 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है जिनमें से आगामी वर्षों में 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगें।"** इस घोषणा के जवाब में वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है कि इसके लिए 60 नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है एवं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर संबंधित विभाग को पत्रावली भिजवा दी गयी है जो कि एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है।
- "जनजाति क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।" इस घोषणा के बारे में कहा गया है कि 88 नवीन पद एवं 1 करोड़ 38 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की पत्रावली वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभाग को भिजवा दी गई है। इसी क्रम में अगर बात की जाये तो एक अतिरिक्त घोषणा "ऐसे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां उपलब्ध शय्याओं का शत प्रतिशत उपयोग हो रहा है वहां शय्याओं की संख्या में वृद्वि की जाएगी जिसके तहत राज्य में स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 750 शय्याओं की बढ़ोतरी करना अपेक्षित है।" इसके जवाब में आईडी संख्या 131000466 बाबत 291 नवीन पदों का सृजन एवं 3 करोड़ 44 लाख 67 हजार रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की स्वीकृति तथा आईडी संख्या 151000381 द्वारा 139 पदों का सृजन एवं राशि 1 करोड़ 40 लाख 25 हजार रुपए का अतिरिक्त प्रावधान सहित पत्रावली प्रशासनिक विभाग को भेज दी गई है।

ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई बजट घोषणाओं के संदर्भ में अनेक योजनाओं के साथ–साथ इस वर्ष विभिन्न नवीन पदों की स्वीकृति को मंजूरी देकर एवं विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत राशि प्रदान करते हुए सराहनीय प्रयास किए हैं। इन घोषणाओं का एक पहलू यह भी है कि अभी तक अनेक योजनाओं की किसी तरह की क्रियान्विति नहीं हुई है या फिर ये योजनायें विभागीय प्रक्रिया में अटकी हुई हैं। दो माह बाद राज्य की विधानसभा में नया बजट पेश होने वाला है जिसके तहत और कई नई घोषणाएं की जायेंगी। बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इनके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि इन घोषणाओं को समय अवधि के भीतर पूरा किया जाए। इसके साथ ही यह भी जरुरी है कि इन घोषणाओं के संदर्भ में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए ताकि सामाजिक जनकल्याण के उद्देश्यों से तैयार की गई इन योजनाओं के बारे में जनता को सटीक जानकारी मिल सके।

राज्य कृषि में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता दखल

हमारे कृषि वैज्ञानिक से बड़ी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां

राजस्थान सरकार को लगता है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों पर भरोसा नहीं है। तभी तो राज्य सरकार ने 32 कृषि विज्ञान केंद्रों, 10 कृषि अनुसंधान केंद्रों, दो कृषि विश्वविद्यालयों और हजारों कृषि वैज्ञानिकों की भारी–भरकम फौज की जगह एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी पर विश्वास जताया है। इस अमरीकी कंपनी का नाम मोनसेंटो है जो विभिन्न देशों के बीजों को अपना बताकर अपनी दादागिरी जताती रही है। कृषि वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि राजस्थान में पिछले साठ साल से विकसित कृषि अनुसंधान और बीज तंत्र को यह अमरीकी कंपनी तहस–नहस कर देगी।

राजस्थान में इस समय 32 कृषि विज्ञान केंद्र, दस कृषि अनुसंधान केंद्र, दो कृषि विश्वविद्यालय, एक पशुचिकित्सालय और एक पशुपालन चिकित्सालय है। एक राष्ट्रीय स्तर का कृषि अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में स्थित है तथा एक राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में संचालित है। इसके अलावा एक सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में तथा इन सब केंद्रों के संचालन के लिए लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों वाले कृषि, भूमि एवं जल संरक्षण और बागवानी जैसे विभाग व राज्य बीज निगम व कृषि विपणन बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं। इसके साथ ही राज्य में करीब दस हजार कृषि वैज्ञानिकों का भारी–भरकम तंत्र पिछले साठ साल से शिक्षण के अलावा कृषि अनुंसधान का कार्य कर रहा है। ये कृषि वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के साथ ही कृषि अनुसंधान की नई तकनीकियां विकसित करने में जुटे हैं। कृषि अनुसंधान केन्द्र राज्य में स्थानीय वातावरण के अनुसार संकर एवं उन्नत किस्में विकसित करके राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ानें में सहयोग करते है।

कृषि विश्वविधालय भी अनुसंधान में अहम भुमिका निभा रहे हैं। जोधपुर स्थित काजरी अपने अंतराष्ट्रीय स्तर के कृषि वैज्ञानिकों के साथ शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान, कृषि विस्तार और किसानो को खेती से सम्बधित नई तकनीकी सिखाने के कार्य में जुटा हुआ है। इसके अलावा राज्य बीज निगम बीज उत्पादन में अहम भुमिका निभाता है। कृषि विभाग एवं बागवानी विभाग के पास बहुत भी होनहार कृषि वैज्ञानिकों की फौज है। इन सभी विभागों की गतिविधियां संचालित करने के लिए सालाना करीब 6–7 हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं।

पिछले साठ साल में एक बार भी इन कृषि वैज्ञानिकों, अनुसंधान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों की विश्वनीयता पर संदेह नहीं किया गया, लेकिन राज्य के किसान कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क को शायद इन कृषि वैज्ञानिकों से ज्यादा अमरीकी कंपनी मोनसेंटो लुभा रही है। इस वर्ष जुलाई 2010 में राज्य सरकार ने अमरीकी कंपनी मोनसेंटों सहित सात बीज कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किया है। इस अनुबन्ध में यह कहां गया कि बीज कम्पनियां राज्य में मक्का, कपास बाजरा, चारे एवं सब्जियों की फसलों का उत्पादन बढ़ाऐंगी तथा किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेंगी। राज्यभर में हो रहे विरोध के बावजूद राजस्थान सरकार मोनसेंटों कंपनी को हमारा पूरा अनुसंधान तंत्र सौंपने की तैयारी कर रही है। मोनसेंटों कंपनी के साथ कई देशों की ओर से पूर्व में किए गए समझौतों का अनुभव खासा बुरा रहा है। पहले यह कंपनी अनुसंधान के नाम पर विभिन्न देशों के कृषि अनुसंधान केंद्रों के साथ काम करती है तथा बाद में इन देशों के बीजों को अपने नाम से पेन्टेन्ट करवाकर अपनी दादागिरी साबित करती है। अमेरिका में भी इस कंपनी को कई बार कानूनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। कई देशों से इस कंपनी को बीच में करार खत्म कर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार मोनसेंटों को यहां लाने में इतना उतावलापन क्यों दिखा रही है, यह बात समझ से परे है।

राजस्थान सरकार के साथ हुए अनुबंध में यह दावा किया गया है कि ये बीज कंपनियां महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान राज्य बीज निगम, बागवानी विभाग और कृषि विभाग के साथ मिलकर वर्षा आधारित उच्च उत्पादन क्षमता की संकर किस्म विकसित तथा उनका प्रसंस्करण करेंगी। इसके बदले सरकार इन कंपनियों को जमीन और संसाधन उपलब्ध कराएगी। यानि सरकार इन बीज कंपनियों को प्रदेश में पिछले कई दशकों में कृषि वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और अरबों रुपए खर्च करके विकसित किया गया पूरा कृषि तंत्र सौंपने की तैयारी कर रही है। सरकारी अनुबंध में यह कहा गया है कि ये कंपनियां जो बीज उत्पादन करेंगी वो कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों को यह आशंका सता रही है कि मोनसेंटों अपने व्यवहार के अनुकूल आने वाले समय में हमारे बीजों पर अपना दावा जता सकती है। यदि ऐसा हुआ तो पिछले साठ साल की मेहनत से तैयार हुआ हमारा बीज तंत्र ध्वस्त हो जाएगा।

वर्तमान में राज्य सरकार ने इन समझौतो पर रोक लगा रखी है। हमें आशा है कि राज्य सरकार इन समझौतों की समीक्षा करके उचित निर्णय लेगी तथा राज्य के कृषी में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते दखल पर रोक लगायेगी।

पृष्ठ 1 का शेष

पारदर्शी तरीके से...

की भारी–भरकम फौज होने के बावजूद कृषि अनुसंधान के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुंह ताकने का क्या औचित्य है।

बजट समाचार के इस अंक में हमने शिक्षा के अधिकार से संबंधित कुछ कड़वी सच्चाइयां पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। बजट समाचार के इस अंक में ''बाल अधिकार संरक्षण अभियान'' की ओर से शिक्षा के अधिकार को लेकर किए गए अध्ययन को प्रकाशित किया जा रहा है। प्रदेश के 15 जिलों की 18 ग्राम पंचायतों में किया गया यह सर्वेक्षण शिक्षा के अधिकार के रास्ते में संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी को तो दर्शाता ही है साथ ही स्कूल, कमरे, शौचालय, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास की भी वकालत करता है। इस अध्ययन में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता जताई गई है। शिक्षा का अधिकार बच्चों के अधिकारों की प्राप्ती में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। परन्तु हमारे देश एवं राज्य में बच्चे अपने कितने बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास तथा सुरक्षा के अधिकारों के लिये बजट में इन मदों में अधिक संसाधन उपलब्ध करवाना आवश्यक है। बार्क तथा कई अन्य संस्थाओं ने बजट पूर्व बाल बजट पर कार्यशाला में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा सरकार को एक मांग पत्र भी भेजा गया। बजट समाचार के इस अंक में हमनें उस मांग पत्र को भी प्रस्तुत किया है।

बच्चे तथा राज्य बजट :

बच्चों के अधिकारों के लिये बजट २०११-१२ के लिये मांग-पत्र

रिसोर्स इन्सटीट्यूट फॉर ह्युमन राइट्स, दलित अधिकार केन्द्र, जन स्वास्थ्य अभियान व बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र तथा अन्य संस्थाओं द्वारा दिनांक 23–24 दिसम्बर, 2010 को "बच्चों के प्रति राज्य की कटिबद्धता एवं बजट 2011–12 की तैयारी, एक पहल" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माननीय विधायकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्वंय सेवी संस्थाओं व जनसंगठनों के 125 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में चिकित्सा, शिक्षा, दलित व आदिवासी, वंचित/विकलांग बच्चे, उनके विकास व सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में आगामी बजट 2011–12 के लिये निम्न लिखित मांगें बच्चों के मुद्दों को लेकर उठाई गई :–

<u>चिकित्सा एंव स्वास्थ्य</u>

- केन्द्र व राज्य स्वास्थ्य नीति, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप चिकित्सा पर राज्य बजट का 7 प्रतिशत/राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया जाए।
- प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में बाल रोग व महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाये।
- राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर आने वाले प्रत्येक मरीज के लिए निःशुल्क दवा एवं जांच की व्यवस्था की जाए।
- आशा सहयोगिनियों की सेवाओं को राज्य द्वारा स्वीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक से जोड़ा जाए।
- ए.एन.एम. के कार्यभार की समीक्षा की जाए व उनके कार्यक्षेत्र का निर्धारण वास्तविक स्थितियों के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
- चिकित्सक संस्थानों पर आई.पी.एच.एस. निर्धारित मानकों को लागू किया जाए।
- राजकीय विद्यालयों में मासिक स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रूप से किए जाएं।

शिक्षा

- राज्य में शिक्षा नीति के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत खर्च किया जाए।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम को तुरन्त लागू किया जाए, जिसमें संरचनात्मक (खेलकूद मैदान, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, रसोईघर, शौचालय, स्कूल की चार दीवारी) सुविधाएं विद्यालयों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
- विद्यालयों में खेलकूद, पुस्तकालय आदि के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अकेडमिक ऑथोरिटी द्वारा तय गुणवत्ता के मानकों को सख़्ती से सुनिश्चित किया जाए।

दलित आदिवासी वंचित विकलांग बच्चे

- अनु.जनजाति क्षेत्र उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत योजना आयोग के निर्देशानुसार बजट आवंटन किया जाए।
- सभी विभागों द्वारा इन योजनाओं के लिए लघुशीर्ष (minor head) का प्रावधान किया जाए।
- उपरोक्त समुदायों के अतिरिक्त अन्य सभी वंचित समुदायों (शहरी ग़रीब, घुमन्तु जातियां व मुस्लिम समुदाय) के बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाए।
- विकलांग बच्चों के लिए भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम व छात्रवृत्ति के सभी प्रावधान लागू किए जाएं।
- अनु.जाति व अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे छात्रावासों एवं विद्यालयों का स्तर नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय संस्थानों के अनुरूप किया जाए।
- छात्रवृत्ति पात्रता हेतु आय सीमा को बढ़ाया जाए।
- सभी प्रकार के वंचित एवं विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि को मंहगाई सूचकांक के साथ जोड़ा जाए।
- वाल्मिकी समुदाय विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं।
- घुमन्तु जातियों का सर्वे हो व उनके पुनर्वास हेतु कार्ययोजना बनें।

<u>बच्चों की सुरक्षा स्थिति</u>

- राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग को प्रभावी एवं सक्रिय किया जाए।
- बाल श्रम के कानूनों की ख़ामियों को दूर करने के लिए रणनीति बनाई जाए।
- समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.) के तहत गठित की जाने वाली विभिन्न स्तर की बाल संरक्षण समितियों का गठन करके उन्हें सक्रिय किया जाए।
- बच्चों के लिए अलग निदेशालय की स्थापना की जाए।

<u>बाल विकास</u>

- आंगनबाड़ी के सभी कार्यों की निगरानी एवं सपोर्ट हेतु मातृ समितियों को सशक्त एवं सक्षम बनाया जाए।
- लेडी सुपरवाइज़र के कार्यक्षेत्र में आने वाली आंगनबाड़ियों की संख्या कम की जाए। जिससे वह प्रत्येक आंगनबाड़ी में प्रतिमाह कम से कम एक बार विजिट कर सके।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को राशि का अग्रिम भुगतान किया जाए।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए तथा उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिका को नियमित रूप से क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

6. अन्य सामान्य मांगें :–

- बच्चों की शिक्षा, विकास व सुरक्षा के लिए आवश्यक बजट आवंटित किया जाए।
- पंचायत स्तरीय कार्मिकों (शिक्षा, चिकित्सा व आई.सी.डी.एस. की योजनाओं के कियान्वयन) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
- परियोजना स्तर व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरा जाए।
- केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी चाइल्ड बजटिंग प्रणाली लागू की जाए।

पृष्ठ 1 का शेष

दलित एवं आदिवासी आबादी..

गए। सरकार से आगामी वर्ष के बजट में यह आशा की जाती है कि सम्बल ग्राम योजना के लक्ष्यानुरुप बजट आवंटित किया जाए।

जनजाति उपयोजना :

- जनजाति उपयोजना क्षेत्र विकास की महाराष्ट्र प्रणाली का नाम परिवर्तित करके जनजाति कल्याण निधि करने की घोषणा की थी। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है एवं इस निधी के तहत घोषणा के अनुरुप 124.83 करोड़ रुपये प्रस्तावित भी कर दिए गए थे।
- राज्य में आदिवासियों (जो कि वन क्षेत्रों में रहते हैं एवं अपनी आजीविका एवं भोजन के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं) को वन अधिकार मान्यता अधिनियम– 2006 को प्रभावी रुप से लागू करके, इनको पट्टे वितरित करने की घोषणा की थी, जिसको क्रियान्वित करके सरकार ने 60353 दावों में 30083 दावे स्वीकृत किए जबकि 30182 दावे निरस्त कर दिए गए। प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक दावे निरस्त होने से बहुत से आदिवासी परिवारों को वनभूमि पर अधिकार नही मिल पाया है जो कि आदिवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
- कुशलगढ, सीमलवाड़ा, कोटड़ा, आबूरोड़, निवाई, प्रतापगढ तथा शाहबाद के आवासीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए थे। विज्ञान संकाय खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था एव विषयाध्यापक लगाने के संदर्भ में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। आवासीय विद्यालय पहले से ही कठिन विषयों (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) के अध्यापकों की कमी से जूझ रहें हैं।
- आदिवासी कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के लिये उद्यानिकी विकास के अन्तर्गत लहसुन, अदरक जैसी मसालेदार फसलें तथा संकर किस्म की सब्जियों के उत्पादन की योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गयी थी। इसके तहत 3.50 करोड़ रुपये की लागत से 30 हजार आदिवासी परिवारों को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 2.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी हैं एवं शेष 1.48 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पास भिजवा दिया गया है।
- इसी तरह से एक और योजना केन्द्र सरकार के बजट का इंतजार कर रही है। जनजातियों के पशुओं की गुणवत्ता एवं इनकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नांद निर्मित करवाने, कुट्टी काटने की मशीन, दुग्ध संग्रहण केंद्र बनाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाने तथा पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार के लिए कैम्प लगवाने के लिए तीन करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव में से सरकार ने एक करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत कर दिये हैं। शेष एक करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है।
- महंगाई को ध्यान में रखते हुए खेल छात्रावासों के छात्रों के लिये भोजन सामग्री के लिए आवंटित 40 रु. प्रतिदिन/ प्रतिछात्र को बढाकर 80 रुपए प्रतिदिन/ प्रति छात्र किया गया है, जिससे छात्रावासों के विद्यार्थियों को प्राप्त भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी प्रकार भोजन सामग्री के लिए आवंटित बजट में वृद्धि को आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों पर भी लागू किया जाना चाहिए ताकि आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
- सरकार ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली एवं बांरा के जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढीकरण के लिए तीन करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के जनजाति परिवारों का पलायन रोकने के लिए इन परिवारों के बच्चों को 8 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा सुलभ कराए जाने की घोषणा की थी। चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ रुपये ख़र्च करना प्रस्तावित किया गया था। इस पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। सहरिया जनजाति के बालकों की सुविधा के लिए बारां जिले में 1 करोड़ रुपये की लागत से आश्रम छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गयी थी, जिस पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत् जनजाति छात्राओं को दी जाने वाली शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि को 350 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने के साथ उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् जनजाति छात्राओं को भी 350 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दिये जाने की घोषणा की थी। इस पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्त घोषणाओं के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विभागिय प्रतिवेदनों में स्पष्टीकरण के अभाव में बहुत से प्रावधानों की वास्तविक स्थिति एवं भौतिक प्रगति का आंकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार एवं सम्बंधित विभाग को विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति सम्बंधी परिपत्र जारी करने चाहिए, जिससे जनता को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

सरकार के आगामी बजट से अपेक्षाएं : वर्ष 2010–11 में दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट में कम राशि आवंटित किए जाने का मुद्दा राज्य विधानसभा में उठा था। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच हुई तीखी बहस के बाद संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा को आश्वस्त किया था कि सरकार वर्ष 2011–12 के बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिए अलग बजट शीर्ष में बजट आवंटित करके इनकी जनसंख्या के अनुपात में वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करेगी। इस वर्ष सभी विभागों में दलितों एवं आदिवासियों के लिये आवंटित राशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्धे को गंभीरता से लेते हुए राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना की रणनीति के अनुसार बजट आवंटित करके वास्तविक व्यय को सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। फलस्वरुप, वित्त विभाग ने 31 अगस्त, 2010 को बजट परिपत्र जारी किया, जिसमें समस्त बजट आंकलन एवं नियंत्रक अधिकारियों का निर्देशित करते हुए अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के लिए बजट प्रवाह इनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित करने की घोषणा की है। इसके अलावा बहुत से विभागों ने अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए लघु शीर्ष 789 एवं जनजाति उपयोजना के लिए लघु शीर्ष 796 नही खोला है। ऐसे में आशा यह भी की जा सकती है कि राज्य सरकार इस वर्ष सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटित करके इनकी उपयोजनाओं के लिए लघु शीर्ष क्रमशः 789 एवं 796 खोलेगी। अब देखना यह है कि सरकार अपने आगामी बजट में अपने आश्वासन को पूरा कर पाती है या नहीं।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र की गतिविधियां

अक्टूबर–दिसम्बर 2010–11 की अवधि में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र की ओर से 11वीं पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण कर केन्द्र की वेबासाइट पर उपलब्ध करवाया गया।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र तथा कई अन्य संस्थाओं ने मिलकर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राज्य के बजट 2011–12 के संदर्भ में बाल बजट एवं राज्य का बजट तथा विशेष संघटक योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजनाा कार्यशालाओं में राज्य के 7 विधायकों समेत करीब 150 संभागियों ने हिस्सा लिया।

इस अवधि में नरेगा में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के संदर्भ में सूचना एवं रोजगार अभियान के द्वारा धरना प्रदर्शन में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ने पूर्ण रुप से सहयोग दिया एवं अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई।

केन्द्र के सदस्यों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न जनसंगठनों एवं संस्थाओ की ओर से आयोजित विभिन्न विषयों पर आधारित कार्यशालाओं यथा–विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बजट अध्ययन समूहों की ओर से आयोजित संगोष्ठी, वर्ष 2011–12 बजट पर आधारित कार्यशाला में हिस्सा लिया।

आपका पत्र

देवेंद्र कुमार शर्मा
एच–30 ए, गोविंदपुरी–एच स्वेज फार्म, 22 गोदाम,
जयपुर– 302019 संपर्क : 9928388935

बजट समाचार का अप्रैल–जून 2010 के अंक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2010 पर लिखा गया आलेख काफी रोचक और ज्ञानवर्द्धक लगा। बजट समाचार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर काफी जरुरी जानकारी पढ़ने को मिली। बजट समाचार ने मुझे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर एक लेख लिखने के लिए प्रेरित किया है। इस लेख की एक–एक प्रति राज्य सरकार और बजट समाचार को प्रेषित करने की कोशिश करुंगा। कृपया बजट समाचार की नियमित प्रति मुझे भिजवाने की कृपा करें। नए वर्ष में बजट समाचार नए आयाम छूए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

आपका पन्ना.....

बजट समाचार आपका अपना अखबार है। बजट समाचार में प्रकाशित हर सामग्री पर आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। भविष्य में बजट समाचार को आप किस रुप में देखना चाहते हैं तथा किन मुद्दों और विषयों पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरुरत है, इन तमाम पहलूओं पर हमारा ध्यान दिला सकते हैं। बजट समाचार के लिए आपकी ओर से भेजे गए हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। बजट समाचार पर आपकी प्रतिक्रिया, सुझावों तथा टिप्पणियों का स्वागत है।

– बार्क टीम

संपादक – नेसार अहमद व नगेन्द्र सिंह
संपादक मण्डल – मुकेश कुमार बंसल
महेन्द्र सिंह राव
सहयोग – सीताराम मीणा
सलाहकार – डॉ. जिनी श्रीवास्तव

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

बुक पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती.....

.....

.....

..... पिन कोड.....